(121)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, रायसेन प्रकरण कमांक 15/अ–12/2016–17.

अनवर हुसैन आत्मज सैय्यद नाजिर हुसैन
कृषक पाटनदेव निवासी वार्ड क. 3 रायसेन
तहसील व जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती किरण बाई पत्नी जितेन्द्र कुशवाह
निवासी व कृषक वार्ड कमांक 14
पाटनदेव रायसेन
तहसील व जिला रायसेन .....अनावेदिका

श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पाटनदेव तहसील व जिला रायसेन स्थित सर्वे कमांक 312/1/2/1/2 रकबा 3.00 एकड़ भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक, रायसेन द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ–12/2016–17 दर्ज कर दिनांक 6–6–2017 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों एवं वन विभाग के अधिकारियों को सीमांकन

की कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही सीमांकन दल गठित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का पालन किये बगैर सीमांकन करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण का सूक्ष्मता से परिशीलन नहीं किया गया है और अवैध तरीके से सीमांकन किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन के समय अनावेदिका स्वयं अनुपस्थित थी, क्योंकि वह उक्त दिनांक को ससुराल में थी और पंचनामा पर उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन पूर्णतः अवैध है, इसलिए उक्त सीमांकन निरस्त किया जाये एवं अवैध सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित कार्यवाही भी निरस्त की जाये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर स्थायी सीमा चिन्हों से विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा, फील्डबुक एवं नक्शा बनाया गया है, जिसमें अनावेदिका की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा विधिवत सूचना पत्र किया गया है, किन्तु उसके द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया है और प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन अनावेदिका की उपस्थिति में किया गया है, जिसका उल्लेख सीमांकन पंचनामा पर किया गया है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में संलग्न आवेदक को जारी सूचना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदक को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया है, किन्तु आवेदक द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया है । ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि उसे सीमांकन की सूचना नहीं दी गई है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित वन विभाग एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर पंचों के हस्ताक्षर भी हैं । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर